न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10/2019

अपीलांट–
आवड़दान पुत्र बालुदान जाति चारण
निवासी चारणों का बाड़ा, तहसील
समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. माधुदान पुत्र बालुदान
2. डूंगरदान पुत्र बालुदान
3. कोजराजसिंह पुत्र जवाहरदान जाति चारण निवासी चारणों का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अजीत
5. तहसीलदार समदड़ी
6. तहसीलदार सिवाना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम चारणों का बाड़ा के नामान्तरकरण सं. 154 स्वीकृति दिनांक 09.08.2004 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 5व6 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 05/11/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा चारणों का बाड़ा के नामान्तरकरण सं. 154 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा चारणों का बाड़ा के खसरा नम्बर 33, 34, 35 व 65/34 रकबा क्रमशः 00–12, 35–14, 05–03, 35–15 बीघा कुल रकबा 77–04 बीघा भूमि बालुदान वल्द जेठमल 1/4,

जिला कलक्टर
बाड़मेर

डूंगरदान, आवड़दान पि0 बालुदान 1/4, चंडीदान, कोजदान पि0 जवाहरदान 1/4 कोजूदान वल्द जवाहरदान 1/4 कौम चारण साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार बालुदान द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अपीलांट आवड़दान व रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान पि0 बालुदान के हक दिनांक 10.08.1992 को निष्पादित कर खसरा नम्बर 33 की भूमि में अपने हिस्सा 1/4 आवड़दान व माधुदान को तथा खसरा नम्बर 65/34 में अपने हिस्सा 1/4 हिस्सा माधुदान वल्द बालुदान को दिया जाना स्वीकार किया गया। इस अनुसार खातेदार बालुदान की मृत्यु दिनांक 01.09.2003 को हो जाने पर हल्का पटवारी अजीत द्वारा नामान्तरकरण सं. 154 मे खसरा नम्बर 33 मे मृतक बालुदान के हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 माधुदान के पक्ष में तथा शेष खसरा नम्बर 34, 35 व 65/34 में बालुदान के हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान वल्द बालुदान के पक्ष में दायर कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 09.08.2004 को स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण सं. 154 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2019 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर कर वास्ते अवलोकन हमफीता किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मृतक खातेदार बालुदान ने अपने जीवनकाल में ग्राम चारणों का बाड़ा के खसरा नम्बर 33 में से अपने 1/4 हिस्सा की वसीयत अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान के पक्ष में गई जिसका नामान्तकरण सही भरा गया। इसके अलावा खसरा नम्बर 65/34 रकबा 38–15 बीघा में अपने हिस्सा 1/4 की वसीयत रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान अकेले के नाम की गई थी किन्तु हल्का पटवारी द्वारा इस खसरा नम्बर 65/34 के साथ ही अन्य खसरा नम्बर 34 व 35 में भी बालुदान के हिस्सा 1/4 के स्थान पर अकेले रेस्पोडेंट सं. 1

जिला कलक्टर
बाड़मेर

माधुदान के नाम से नामान्तरकरण दायर कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा खातेदारान व प्रभावित पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं दस्तावेज का अवलोकन किये ही स्वीकृत कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के पिता स्व. बालुदान द्वारा खसरा नम्बर 65/34 रकबा 35–15 बीघा में से अपने 1/4 हिस्सा ही रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान को देते हुए पंजीबद्ध वसीयतनामा निष्पादित किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके साथ–साथ खसरा नम्बर 34 व 35 में भी हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष मे अनाधिकार रूप से स्वीकृत कर दिया। खातेदार बालुदान द्वारा जिन खसरान की भूमि का वसीयतनामा निष्पादित किया गया था उसके अलावा अन्य खसरान की भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 बहैसियत वंशज होने से उनका भी हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 154 अपीलांट के हितों के विपरित विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व अपीलांट व अन्य उत्तराधिकारियों को न तो कोई नोटिस जारी किया व न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट यही समझता रही कि कानूनन उसका हिस्सा बालुदान के पश्चात खातेदारी में दर्ज हो गया होगा लेकिन जब रेस्पोडेंट सं.1 माधुदान द्वारा खसरा नम्बर 34 व 35 में से अपीलांट के हिस्से की भूमि से बेदखल करने व कब्जा हटाने का हस्तक्षेप करने लगा तब अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 154 की प्रतिलिपि दिनांक 15.02.2019 को प्राप्त की गई तब सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये स्वीकृत किया गया हैं जो क्षेत्राधिकारिता से परे एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से शुन्य होने से मयाद अधिनियम लागू नहीं होता हैं। इसके उपरांत भी धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब की माफी हेतु प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर ठोस कारणों एवं आधारों का उल्लेख किया गया हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 154 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 34 व 35 में अपीलांट के पिता बालुदान के हिस्सा 1/4 में अपीलांट का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 154 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से पारित किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य हैं। इसके अलावा कोई ठोस तथ्य एवं साक्ष्य सहित पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा चारणों का बाड़ा के खसरा नम्बर 33, 34, 35 व 65/34 रकबा क्रमशः 00–12, 35–14, 05–03, 35–15 बीघा कुल रकबा 77–04 बीघा भूमि बालुदान वल्द जेठमल 1/4, डूंगरदान, आवड़दान पि0 बालुदान 1/4, चंडीदान, कोजदान पि0 जवाहरदान 1/4 कोजूदान वल्द जवाहरदान 1/4 कौम चारण साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार बालुदान द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अपीलांट आवड़दान व रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान पि0 बालुदान के हक दिनांक 10.08.1992 को निष्पादित कर खसरा नम्बर 33 की भूमि में अपने हिस्सा 1/4 आवड़दान व माधुदान को तथा खसरा नम्बर 65/34 में अपने हिस्सा 1/4 हिस्सा माधुदान वल्द बालुदान को दिया जाना स्वीकार किया गया। खातेदार बालुदान की मृत्यु दिनांक 01.09.2003 को हो जाने पर हल्का पटवारी अजीत द्वारा नामान्तरकरण सं. 154 मे खसरा नम्बर 33 मे मृतक बालुदान के हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 माधुदान के पक्ष में दायर किया किन्तु शेष खसरा नम्बर 34, 35 व 65/34 में बालुदान के हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेंट सं. 1 माधुदान वल्द बालुदान के पक्ष में दायर कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 09.08.2004 को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अभिलेखीय तौर पर स्पष्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा वसीयतनामा का समग्र रूप से अवलोकन एवं परीक्षण नहीं किया तथा वसीयतनामा में उल्लिखित किये गये खसरान का सही रूप से उत्तराधिकारियों के पक्ष में अंकन नहीं किया गया। इसके अलावा जहां तक वसीयत के द्वारा भूमि का उत्तराधिकार हक निर्धारित किया जाना था तो समस्त प्रभावित पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु आदेश जारी किया जाना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही हैं ऐसे में उन्हे इस नामान्तरकरण के स्वीकृत

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होने की जानकारी नही होने का तथ्य सद्भाविक प्रतीत होता हैं। इस आधार पर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट हैं एवं क्षमा योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने मे उत्तराधिकार के सारभूत विधिक प्रावधानों को अनदेखा किया गया हैं तथा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज का समुचित परीक्षण नहीं किया गया हैं, लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 154 स्वीकृति दिनांक 09.08.2004 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण वर्तमान क्षेत्राधिकार अधीन तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे सभी प्रभावित पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amba Ram Bosiya
Date: 2019.11.05 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: